

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes


NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (23A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby approves the **"Indian National Group of the International Association for Bridge and Structural Engineering, IDA Building, Jamnagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011"** for the purpose of the said clause for the assessment years 2013-14 to 2015-16 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee shall apply its income, or accumulate the income for application, in accordance with the provisions of the said clause (23A), solely to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee shall not be eligible for exemption under the said clause (23A) in respect of income chargeable under the head "income from House Property" or any income received for rendering any specified services or income by way of interest or dividends derived from its investment.

[Notification No. 4 /2015 F.No.196/36/2013-ITA.I]


(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

MS Rekha
20/1/15

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 2015

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (23क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-2014 से 2015-16 तक उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए "इंडियन नेशनल ग्रुप ऑफ दी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ब्रिज एंड स्कट्रचरल इंजीनियरिंग, आईडीए बिल्डिंग, जामनगर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110001" को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित करती है:-

- (i) कर-निर्धारिती उक्त उपवाक्य (23क) के उपबंधों के अनुसरण में अपनी आय का इस्तेमाल अथवा इस्तेमाल हेतु अपनी आय को इकट्ठा केवल उन लक्ष्यों हेतु ही करेगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उक्त उपवाक्य (23क) के अंतर्गत "गृह संपत्ति से आय" अथवा किसी भी विनिर्दिष्ट सेवा को प्रदान करने से प्राप्त हुई कोई आय अथवा इसके निवेश से उत्पन्न हुए ब्याज अथवा लाभांश के रूप में प्राप्त कोई आय शीर्ष के तहत कर प्रभार्य आय के संबंध में छूट हेतु पात्र नहीं होगा।

[अधिसूचना संख्या/2015 फा.सं. 196/36/2013-आ.का.नि-।]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।